

कार्यालय

मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी

गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:भ-54/सीएफओ/जीबीएन-10(1)/1064

दिनांक:सितम्बर 10

2010.

सेवा मे,

प्रभारी, (भवन प्रकोष्ठ)

नोएडा प्राधिकरण सेक्टर-6

जनपद-गौतमबुद्धनगर।

विषय:

मैसर्स शुभकामना ब्यूल्डिंग्स (प्रा0) लि0 द्वारा प्लॉट न0 जी0एच0-05/बी0, सेक्टर-137, नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर मे प्रस्तावित शुभकामना होम्स रेजीडेन्शियल काम्प्लेक्स, निर्माण हेतु मानचित्रों की अनुज्ञा के सम्बन्ध मे अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र का निर्गत किया जाना।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक मैसर्स शुभकामना ब्यूल्डिंग्स (प्रा0) लि0 द्वारा प्लॉट न0 जी0एच0-05/बी0, सेक्टर-137, नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर मे प्रस्तावित शुभकामना होम्स रेजीडेन्शियल काम्प्लेक्स, निर्माण हेतु मानचित्र एवं प्रश्नोत्तरी उपलब्ध कराकर अस्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है जिसके परिपेक्ष्य मे प्रस्तुत मानचित्रों एवं प्रश्नोत्तरी का अध्ययन किया गया जिसका विवरण निम्नवत है:-

1- मानचित्रों मे भवन के सामने रोड की चौड़ाई मानको के अनुरूप दर्शाई गई है जिस पर अग्निशमन वाहन सुगमता पूर्वक आ जा सकते है।

2- भवन निर्माण हेतु प्लॉट एरिया-22,565.7675 वर्ग मी0 है जिसमे से भूतल कवर्ड एरिया-4402.789 वर्ग मी0 है, भवन के निर्माण हेतु दो बेसमेन्ट के अतिरिक्त स्टिल्ट/भूतल से कमश: 14वे एवं 17 वे तथा 18 वें तल तक के कुल ए0,बी0सी0डी0 04 ब्लाक मे 12 टावरों का निर्माण जाना प्रस्तावित है जिसमे प्रथम बेसमेन्ट का एरिया- 11,677.633 वर्ग मी0, एवं द्वितीय बेसमेन्ट का एरिया-5,305.205 वर्ग मी0 प्रस्तावित है जिसमे कम्पार्टमेन्टेशन नियमानुसार कराया जाना अनिवार्य होगा।

3- परिसर के टावरों की ऊँचाई-44.775 मी0 तथा अधिकतम ऊँचाई-58.80 मी0 अंकित की गई है।

4- स्टेयर केस एवं लिफ्ट भवन के प्रत्येक ब्लाक मे नीचे से उपरी तलो तक जाने आने के लिए प्रत्येक ब्लाक मे दो दो स्टेयर केस एवं लिफ्टों का प्राविधान किया गया है जीने की चौड़ाई 1.5 मी है, जिसके लिए एन0बी0सी0 के क्लाज-4.9.6 का पूर्ण रूप से पालन किया जाये साथ किसी भी आपात स्थिति मे लिफ्ट का प्रयोग किया जाना प्रतिबन्धित होगा तथा प्रत्येक ब्लाक मे एक फायरमैन लिफ्ट का प्राविधान भी किया जाना अनिवार्य होगा।

5- सैटबेक

मानचित्रों मे भवन के चारो तरफ छोड़े जाने सैटबेक को नोएडा आथर्टी के नियमो एवं एन0बी0सी0-2005 के मानको का पालन किया जाना आवश्यक है जिसमे से 06 मीटर मोटरेबुल सैटबेक हार्ड सरफेस युक्त होना अनिवार्य होगा जिसे सदैव अवरोध रहित रखा जाये भवन के सैटबेक मे किसी भी प्रकार का स्थाई/ अस्थाई निर्माण न कराया जाये।

6- जीव रक्षा के सुझाव

1 भवन के बेसमेन्ट मे स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम का प्राविधान किया जाये कि किसी भी अग्नि दुर्घटना के दोरान 30 एयर चेन्ज व साधारण स्थिति मे 12 चेन्ज होना आवश्यक है।

2 भवन मे रिफ्यूज एरिया के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया 2005 के पार्ट-4 के क्लाज-4.12.1 से 12.3 तक दिये गये निर्देशो का पालन किया जाये।

3 यदि भवन के किसी भाग को सेन्ट्रली एयर कण्डीशन बनाया जाता है तो एयर कण्डीशन के लिए नेशनल

20/6/2011

बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया 2005 के पार्ट-4 के क्लाज-1.14 से 1.15 तक दिये गये निर्देशों का पालन किया जाये।

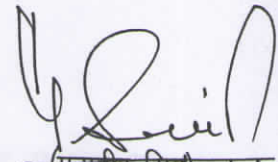
- 4 भवन में ट्रांसफार्मर की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया 2005 के पार्ट-4 के क्लाज-सी 1.16 में दिये गये निर्देशों का पालन किया जाये।
- 5 भवन की विद्युत सुरक्षा व्यवस्था के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया 2005 के पार्ट-4 के क्लाज-1.12ए से एच तक दिये गये निर्देशों का पालन किया जाये।
- 6 बेसमेन्ट में कम्पार्टमेंटेशन सम्बन्धित मानकों के अनुसार किया जाये।

7-एन0बी0सी0 पार्ट-4, 2005 के मानक के अनुसार अग्निशमन व्यवस्था के सुझाव:-

- 1- प्रस्तावित भवन के अग्निशमन कार्यों के लिए 2,00,000 लीटर पानी की क्षमता का भूमिगत टैंक, प्रत्येक टावर हेतु 10,000 लीटर क्षमता का टेरिस टैंक प्रत्येक टावर की टेरिस पर स्थापित किया जाये। दोनों टैंकों को जोड़ते हुए वेटराइजर कम डाउनकामर का प्राविधान किया जाये इसके साथ ही प्रत्येक तल पर आवश्यकतानुसार होजरील, लेण्डिंग वाल्व, होज केबिनेट स्थापित किये जाये एवं प्रत्येक होज केबिनेट में दो दो अदद आर0 आर0 एल0 होज पाईप 15-15 मीटर व स्प्रे ब्रान्च पाइप रखे जाये।
- 2- भवन के लिए वेटराइजर कम डाउनकामर को सदैव पानी से प्रेशर युक्त बनाये रखने के लिए भूमिगत टैंक के पास 2280 एलपीएम का एक अदद विद्युत चालित फायर पम्प, इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल चालित पम्प, 180 एलपीएम का विद्युत चालित जौकी पम्प स्थापित किये जाये। वेटराइजर कम डाउनकामर के नीचे व उपर की तरफ एन0आर0वी0 एवं उपर की तरफ एयर रिलीज वाल्व तथा भूतल पर फायर सर्विस इन्लेट का प्राविधान किया जाये।
- 3- सम्पूर्ण भवन के बेसमेन्ट एवं प्रत्येक तल पर मानकों के अनुसार आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम का प्राविधान किया जाये।
- 4- भवन के चारों ओर रिंग मेन डालकर उस पर यार्ड हाईड्रैण्ट्स का प्राविधान किया जाये।
- 5- भवन के प्रत्येक तल पर मेनुअल आपरेटिड ईलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम का प्राविधान किया जाये जिसका मेन पैनल कम से कम 02 घण्टे की बैट्री बैकअप सिस्टम से युक्त होना आवश्यक।
- 6- भवन के प्रत्येक तल पर पी0ए0 सिस्टम का प्राविधान किया जाये ताकि आपातस्थिति में भवन के अन्दर कार्यरत लोगों को अवगत कराकर बाहर निकाला जा सके।
- 7- भवन के अन्दर फायर कंट्रोल रूम की स्थापना के लिए एन0बी0सी0-2005 के क्लॉज सी-5 में दिये गये निर्देशों का पालन किया जाये।
- 8- फायर एक्सटिंग्यूशर भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0-2190 के अनुसार स्थापित कराये जाने अनिवार्य होंगे।
- 9- भवन निर्माण में एन0बी0सी0 के क्लाज 6.1" रिक्वारमेन्ट ऑफ रेजिडेन्सियल बिल्डिंग ग्रुप-ए0" के प्रतिबन्धों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
- 10- प्रत्येक ब्लॉकों के मध्य इण्टर डिस्टेन्स मानकों के अनुसार रखी जाये।
- 11- भवन की अन्य फैशिलिटिज में सम्बन्धित मानकों के अनुसार भवन निर्माण के उपरान्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को पूर्ण कराया जाना अनिवार्य होगा।
- 12- भवन में स्थापित करायी जानी वाली सम्पूर्ण अग्निशमन प्रणाली व्यवसायिक रूप से प्रशिक्षित एवं दक्ष व्यक्ति की देखरेख में कराई जाये तथा स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के संचालन के लिए व्यवसायिक रूप से दक्ष अग्निशमन अधिकारी व स्टाफ के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ-2005 पार्ट-4 के क्लाज सी-6 में दिये गये निर्देशों का पालन किया जाये।

अतः मैसर्स शुभकामना ब्लूडटैंक (प्रा0) लि0 द्वारा प्लॉट न0 जी0एच0-05/बी0, सेक्टर-137, नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित शुभकामना होम्स रेजिडेन्सियल भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के

साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विका उपविधि-2008, तथा नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2005, उ0प्र0 अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम-200 एवं तत समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि मे उल्लेखित मानकों के अनुसार करायें जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन त प्रयोग करने से पूर्व भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशम विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हे अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा ।



निवापर सिटी
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
गौतमबुद्धनगर

प्रतिलिपि: मैसर्स शुभकामना ब्यूल्डटैक (प्रा0) लि0 द्वारा प्लॉट न0 जी0एच0-05/बी0, सेक्टर-137, नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को अनुपालनार्थ।

(RAN LAL)
GENERAL MANAGER (ATM)
NORTHERN REGION

GENERAL MANAGER (AERO)
NORTHERN REGION